


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1208, 1209 एवं 1210/2015 जिला श्रीगंगानगर.....

उनवान : मै० खण्डेलिया उद्योग प्रा.लि. श्रीगंगानगर बनाम अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर एवं सहायक आयुक्त, करापवंचन, श्रीगंगानगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/08/2015	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष</u> <u>श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपीलें मय स्थगन प्रार्थना-पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा स्थगन नम्बर 28, 29 30/2015-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) व 100 सपठित नियम 25, आरवेट रूल्स, 2006 के तहत पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 31.07.2015 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।</p> <p>स्थगन प्रार्थना-पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे एन शर्मा ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों के तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए, तथ्यों की गलत विश्लेषण व विवेचना करते हुए अविधिक आदेश पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक का निवेदन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त करते हुए स्थगन प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार किये जावे।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरना ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।</p> <p>उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए मांग राशि की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 2 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p align="center">निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="center">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p> <p align="center"> अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	